

अनुमोदित किन्ती करमापे जाने का निकल
किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट, पत्रावली,
पेशवादा शायर पर, 'श्रीमिवादी' तहसीलदार स्व. के.
से प्राप्त किन्तुकार जवाब 'आदि' का अवलोकन
किया गया एवं तदस वहील धाडी पर समीर
मनन किया गया। 'श्रीमि' वारी के समस्त करमापे,
यथा आधार कार्ड, रकमान कार्ड, जन आधार कार्ड,
लैंक पासबुक आदि में वारी का नाम भोला राम
ही दर्ज है। तहसीलदार स्व. के. ने भी अपने
जवाब में उक्त दुरुस्ती हेतु श्रमिवादी की है।
अतः उक्त समस्त तब्यों के आलोक में
वाड, वारी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि :-

आदेश

तन ग्राम समर्थपुरा पठ छ सुजाना तहसील
स्व. के. जिला सीकर (राज.) अवस्थित वृष
श्रीमि ख. नं. 516 के राजस्व रिपोर्ट में वारी
का गलत दर्ज नाम "माला पुज मंगला" के
स्थान पर वास्तविक व सही नाम "भोलाराम
पुज मंगला" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार
राजस्व रिपोर्ट में भ्रमल दरामद हो। तदनुसार
प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली केसल
शुमार होकर नम्बर से कर हो तथा वाड तहसील
वाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/1/2024
को स्कूल न्यायालय में सुनाया गया।



(श. र. श. कुमार)
R.A.S.
जयपुर जिला
(जयपुर जिला) जयपुर